सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद पत्र संख्या – 130/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. मोहनलाल पुत्र ग्यारसी लाल मीणा
2. श्रीमति गंगा पत्नि मोहनलाल मीणा

निवासीगण बोगला तह. केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ खाति
2. गोपाल पुत्र हरजी जाति मीणा
3. सत्यनारायण पुत्र जरजी जाति मीणा
4. प्रभाकर नारायण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासीगण बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–8.6.2018

पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प देवगांव में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। संक्षेप में निर्णय निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता नम्बर 316 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1074, 2230/1074, कुल किता 2 रकबा क्रमशः 3.23 हैक्ट, 0.01 हैक्ट. भूमि जो कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी है जिसमें किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक, अधिकार, हिस्सा नही हे। अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार है जो आये दिन वादीगण की आराजीयात को अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकियां देते है तथा आये दिन लडाई–झगडा करते रहते है। जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वादपत्र वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार देवगांव में पेश हुई जहां वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामें पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया । वादीगण की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। उपस्थित पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार आपसी समझोते के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना चाहा है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी होने से एवं पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। वाद पत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता नम्बर 316 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1074, 2230/1074, कुल किता 2 रकबा क्रमशः 3.23 हैक्ट, 0.01 हैक्ट. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकडी को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 08.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर निर्णय शामिल पत्रावली किया । निर्णय मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी